

राजस्थान सरकार
कार्मिक [क-2] विभाग

184

क्रमांक: - 10 [3] कार्मिक/क-2/पार्स

जयपुर दिनांक 30.10.2000

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक P.5 [3] कार्मिक/क-2/99

दिनांक 21.3.2000 तथा समसंख्यक परिपत्रादेशा दिनांक 20.3.2000

के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अल यद्द निर्णय लिया गया है कि अन्तरराष्ट्रीय सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा/नियंत्रण रेखा पर संघर्ष के दौरान मृत/स्थाई रूप से अक्षरत सहायक बल सेवा कार्मिकों/पैरा मिश्रितरी कार्मिकों के आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिये कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी।

यह परिपत्र वित्त विभाग की सहमति 0313/पी.एस.सफ. / 2000 दिनांक 19.10.2000 के अनुरूप जारी किया जाता है।

(Signature)
§ एसएसओ पार्स §
उप प्रासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुकरार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है :-

1. सामस्त प्रमुख प्रासन सचिव/प्रासन सचिव/विश्विष्ट प्रासन सचिव।
2. सामस्त विभागाध्यक्ष/समाग्रीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित।
3. सामस्त जिला शैनिक कक्षाणा अधिकारी, राज।

(Signature)
उप प्रासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, निजी सचिव, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव।
2. रजिस्ट्रार, प्रासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिवालय के सामस्त विभाग/अनुभाग प्रमुख।
4. निजी सचिव, प्रासन सचिव, कार्मिक विभाग।

(Signature)
उप प्रासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, राज। लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राज। विधान सभा, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राज। उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राज। शिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. महालकाकार, राज। जयपुर।

(Signature)
उप प्रासन सचिव